भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1714
09 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए संवर्ग पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

1714 श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए संवर्ग पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या मंत्रालय रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए सभी हितधारकों को आमंत्रित करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय समिति के एकल हितधारक सदस्य द्वारा दी गई विसम्मति टिप्पणी पर विचार करेगी, यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस रिपोर्ट में मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए मानक पाठ्यक्रम के संबंध में कोई संशोधन अपेक्षित हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और
(ड़) संवर्ग पुनर्गठन समिति रिपोर्ट की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए कितना समय लगने की उम्मीद है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.) फिज़ियोथेरेपिस्ट के संवर्ग पुनर्गठन और संवर्ग पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन एक प्रशासनिक मामला है जिसे अस्पताल की कार्यविधि और आवश्यकता के अनुसार पूरा किया जाता है।

जहां तक तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: सफरदजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया और लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, डॉ. बी.डी. अथानी, प्रधान परामर्शदाता, डीजीएचएस की अध्यक्षता में फिज़ियोथेरेपिस्ट संवर्ग की संवर्ग पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था, जिसमें तीनों केंन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के सदस्य और अन्य हितधारक शामिल थे।

समिति ने यथोचित विचार विमर्श करने और सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की है। समिति अपने विचार विमर्श के अनुसार अपनी रिपोर्ट देने के

लिए सक्षम है और रिर्पाट प्रस्तुत होने के पश्चात् तथा रिपोर्ट के कार्यान्वयन से पूर्व संशोधनों, यदि कोई हो, का सुझाव दिया जा सकता है।

*****